

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114



फैक्स: 0141-2701822

email : rajssa_cmece@yahoo.com

क्रमांक : 15(31) राप्राशिप/जय/सामु.गति./प्रबंधन मद/दिशा निर्देश/2017-18/5804 दिनांक : 18/8/17

दिशा निर्देश (सत्र 2017-18)

“आपणी लाडो” बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम

प्रस्तावना :-

“बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं के कल्याण से सम्बन्धित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसएमसी सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों के साथ सभी हितधारियों की जागृति एवं सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के सर्वाधिक विपरीत लिगानुपात वाले 10 जिलों (Gender Critical Districts) के सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में “बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम” मनाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यालयों में एक रैली आयोजित की जायेगी एवं एसएमसी साधारण सभा की बैठक भी आयोजित की जायेगी। वर्ष 2017-18 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में दस जिलों (Gender Critical Districts) के लिए कुल 14307 विद्यालयों हेतु ₹.20.60/- लाख रुपये का प्रावधान है।

क्रियाविधि :-

- राज्य के सर्वाधिक विपरीत लिगानुपात वाले 10 जिलों :- (Gender Critical Districts) अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, झुंझुनूं करौली, सवाई माधोपुर एवं सीकर के सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जुलाई-^{अगस्त} माह में एक रैली एवं एसएमसी साधारण सभा की बैठक आयोजित की जायेगी।
- यह गतिविधि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में किसी भी एक दिवस पर आयोजित की जानी है। रैली से चार-पाँच दिन पूर्व से ही प्रार्थना सभा में बच्चों को रैली के आयोजन एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए।
- प्रातः रैली आयोजित की जायेगी जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे एवं शिक्षक भाग लेंगे। अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी यथासंभव रैली में सम्मिलित किया जाए। रैली में प्रचार-प्रसार हेतु बैनर, छोटे-छोटे बोर्ड, तख्तियाँ आदि तैयार की जाये। इसके लिए अध्यापकों एवं बच्चों से सहयोग लिया जाए।
- बैनर एवं तख्ती आदि पर बालिका शिक्षा एवं अन्य बालिकाओं से सम्बन्धित विषयों पर स्लोगन कविताएं जानकारी आदि लिखे जाये।

- रैली विद्यालय के कैचमेट एरिया के सभी गलियों एवं मौहल्लों से गुजरे। रैली के पश्चात् साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाये। इस गतिविधि के लिए प्रति विद्यालय ₹ 144/- का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग बैनर, तख्ती आदि सामग्री तैयार करने में किये जाए।
- राशि का व्यय एसएमसी के माध्यम से किया जाए एवं व्यय का पूर्ण अभिलेख भी संधारित कर रखा जाए। प्रचार-प्रसार हेतु बनाई जाने वाली सामग्री विद्यालय अभिलेखों में संधारित कर विद्यालय में सुरक्षित रखें।
- रैली के पश्चात् आयोजित की जाने वाली साधारण सभा की बैठक की सूचना गाँव के मुख्य स्थानों जैसे :- ग्राम पंचायत, बाजार आदि स्थानों पर चस्पा की जाए। साधारण सभा की बैठक में सभी अभिभावकों जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के अलावा समुदाय के अन्य हितधारियों को भी शामिल करें। बैठक में एएनएम/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी आदि को भी आमंत्रित किया जाए। बैठक का समय साधारण सभा के सदस्य एवं अन्य संभागियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्धारित किया जाए। इसकी अवधि 1 से 2 घण्टे रखी जाए। साधारण सभा के बैठक अभिलेख में इस बैठक का भी अभिलेख संधारित किया जाए।

साधारण सभा की बैठक में “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए :-

- बालिकाओं के नामांकन कम होने का कारण।
- बालिकाओं के अधिक ड्रॉप आउट का कारण।
- नामांकन बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट कम करने के उपाय एवं इसमें समुदाय की भूमिका।
- बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।
- बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय एवं उसकी सफाई की व्यवस्था।
- स्थानीय परिस्थितियों से सम्बन्धित बालिकाओं से जुड़े विशेष मुद्दे।

नोट :- रैली व बैठक के दौरान महिला/बालिका रोल मॉडल को आमंत्रित कर उनके संघर्ष/सफलता के अनुभवों की प्रस्तुती करवाई जाए

उपरोक्त के अलावा बालिकाओं से सम्बन्धित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक के निष्कर्ष में बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं उसमें अभिभावकों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य हितधारियों की भूमिका को भी स्पष्ट किया जाये। उक्त कार्यक्रम में ऐसे अभिभावकों को सम्मानित किया जा सकता है जिनकी बेटियों ने शैक्षिक व सहशैक्षिक क्षेत्र में अपने गाँव में उपलब्धि हासिल की हो। बैठक का संचालन एवं संयोजन का दायित्व संस्था प्रधान या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अध्यापक का होगा।

जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार है :-

Awareness for girl child education

S.No.	District	Unit cost of Rs 144 per school (10 Gender critical districts)	
		Phy.	Fin. (in lakhs)
1	Alwar	2142	3.08
2	Bharatpur	1243	1.79
3	Dausa	1204	1.73
4	Dhaulpur	888	1.28
5	Ganganagar	1517	2.18
6	Jaipur	2908	4.19
7	Jhunjhunu	1126	1.62
8	Karauli	1106	1.59
9	Sawai Madhopur	776	1.12
10	Sikar	1397	2.01
Total		14307	20.60

(डॉ. जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांक : 15(31) राप्राशिप/जय/सामु.गति./प्रबंधन मद/दिशा निर्देश/2017-18/5805 दिनांक : 18/8/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त-जिला।
4. उपायुक्त (प्लान)/मॉनिटरिंग, राप्राशिप, जयपुर।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान।
6. रक्षित पत्रावली।

(जस्सा सम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त